न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 33/2006

अपीलान्ट	बनाम		रेस्पोडेन्ट :–
भंवरलाल पुत्र चेलाराम जाति माली निवासी राणावास तहसील मा0जं0		1	कंकूबाई पत्नी गणेशराम जाति सिरवी के का0मु0
		1.1	गणेशाराम पुत्र कंकुबाई
		1.2	भीकाराम पुत्र कंकुबाई
		1.3	रमेश पुत्र कंकुबाई जाति सीरवी निवासी राणावास तहसील मा0जं0
		2	बाबूलाल पुत्र चेलीया जाति माली
		3	डायाराम पुत्र चेलीया जाति माली
		4	रूपाराम पुत्र घीसा
		5	पेपी पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी राणावास तहसील मा0जं0
		6	भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांक:– 3.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 83/2005 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2006 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अपीलाण्ट को प्रतिवादी संख्या 5 संयोजित किया गया। उक्त वाद में अपीलाण्ट के नाम से सम्मन जारी हुआ, वह अपीलाण्ट से तामील ही नहीं हुआ। इसके बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वाद को एकपक्षीय रूप से निर्णित कर दिया। उक्त निर्णय की अपीलाण्ट को जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त कर एकपक्षीय डिक्री अपास्त कराने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली में हुई तामील को किसी प्रकार से रेखांकित नहीं किया तथा न ही यह स्पष्ट किया कि उक्त तामील किस रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के तहत पर्याप्त तामील की श्रेणी में आती है। जैर अपील वादस्थ भूमि मूल रूप से खातेदार घीसा की खातेदारी भूमि थी। घीसा के तीन पुत्र थे, चेलाराम, रूपाराम एवं कूपाराम। अपीलाण्ट चेलाराम का पुत्र है। वर्ष 1992 में खातेदारान् के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया, जो 1998 में डिक्री हुआ तथा उसके पश्चात प्रकरण प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु विचाराधीन रहा। यह निर्णय जिस समय पारित हुआ, उस समय रेस्पोडेन्ट इस भूमि में किसी प्रकार से हितबद्ध नहीं था। मूल वाद वर्ष 1998 से 2004 तक अन्तिम डिक्री हेतु विचाराधीन रहा। इस दरम्यान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रूपाराम व कूपाराम से भूमि क्रय कर बिना कब्जा प्राप्त किए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा अपीलाण्ट की तामील हुए बिना ही विधि विरूद्ध रूप से दावा डिक्री करवाया। इस सम्बन्ध में विभिन्न फौजदारी प्रकरण भी दायर हुए। अपीलाण्ट की पत्नी की हत्या भी हो गई। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कंकू द्वारा प्रस्तुत वाद में हुए निर्णय की जानकारी तब हुई, तब तरमीम की गई, उस समय अपीलाण्ट जेल में था। जानकारी होने पर दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकरण के समुचित निर्णय हेतु भी प्रकरण संख्या 24/1992 तथा वाद संख्या 70/2004 की पत्रावली को तलब किया जाना आवश्यक है, जिससे मूल विवाद बिन्दु का निस्तारण हो सके। उक्त पत्रावली तलब नहीं की गई, तो प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण न्यायोचित नहीं होगा। अतः उपरोक्त पत्रावलियां तलब करावें एवं प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण करते हुए अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 24/1992 आज भी विचाराधीन है। उक्त वाद खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का था। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पक्षकार नहीं है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कूपाराम से भूमि क्रय की है, वह उक्त वाद में पक्षकार था। रेस्पोडेन्ट के परिवारगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित है। उक्त भूमि में चेलाराम, रूपाराम व कूपाराम का 1/3, 1/3 हिस्सा आता है, इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। अपीलाण्ट ने अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट को 1/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया तथा मौके पर इसी अनुरूप बंटवाडा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अपीलाण्ट द्वारा दावे के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विचाराधीन रहते हुए कंकू को पक्षकार बनाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो खारिज हुआ। हस्तगत प्रकरण में जिस निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है, उसकी पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है। अन्य पत्रावलीयों का इस प्रकरण से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट मात्र प्रकरण को विलम्बित करने की गरज से अन्य पत्रावलियां भी तलब करवाना चाहते है, जबकि उन पत्रावलियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हस्तगत प्रकरण में मात्र आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 से सम्बन्धित पत्रावली का ही परीक्षण किया जाना है। अपीलाण्ट द्वारा सम्मन लेने से इन्कार किया गया है, जो आबाद मकान पर चस्पा किया गया है, जिसे सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री पारित की है, जिसमें जैर अपील आदेश के जरिये किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं मानी गई है। इस कारण अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 13, के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। दौराने बहस जो तथ्य प्रकट हुए है, उनमें यह बिन्दु दृष्टिगोचर होता है कि क्या हस्तगत अपील के निर्णय से पूर्व प्रकरण संख्या वाद संख्या 24/1992 तथा वाद संख्या 70/2004 की पत्रावली को तलब किया जाना आवश्यक है अथवा नही ? इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि अपीलाण्ट द्वारा जिस निर्णय/आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, यह न्यायालय उस आदेश की विधिकता एवं औचित्य का परीक्षण करने हेतु सक्षम है। जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, उससे आगे बढते हुए अन्य पत्रावली को तलब किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है, जबकि जिस पत्रावली को तलब कराने का जिक्र अपीलाण्ट कर रहे है, उनके द्वारा उक्त पत्रावली से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज, जिन्हे वे अपनी अपील के आधार बिन्दु बनाना चाहते है, प्रस्तुत ही नहीं किए। कानूनन अपने तथ्यों को साबित करने का दायित्व उसी व्यक्ति का होता है, जिसके द्वारा उक्त तथ्य उठाये जाते है। न्यायालय द्वारा तथ्यों को बिना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत अनुसार वांछित पत्रावलियां तलब किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा यह कथन उजागर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन उन्हे प्राप्त ही नहीं हुए। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मत उन्हे प्राप्त नहीं होते, तो हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 पेपी, जो अपीलाण्ट की पत्नी है, वह दिनांक 02.08.2004 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किन कारणों से उपस्थित होती। इस कारण अपीलाण्ट का यह कथन कि उन्हे सम्मन की जानकारी नहीं थी तथा वाद की जानकारी नहीं थी, बेबुनियाद एवं मिथ्या प्रकट होते है तथा मिथ्या कथनों के आधार पर अपीलाण्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ती का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को विवेचित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यक प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 83/2005 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 3·4·2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली